संख्या- 32 /2026 / 3802 /चार-2025- 2012542

प्रेषक,

संजय कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 23 जनवरी, 2026**

विषय:- राज्य संग्रहालय, लखनऊ में संग्रहीत भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला पर आधारित लघुचित्रों पर ए0आर0/वी0आर0 वीडियो निर्माण हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-826/उ0प्र0सं0नि0-4(23)/2025-26 दिनांक 04 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य संग्रहालय, लखनऊ में संग्रहीत भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला पर आधारित लघुचित्रों पर ए0आर0/वी0आर0 वीडियो निर्माण हेतु यू०पी० डेस्को, लखनऊ के माध्यम से निम्नलिखित विवरणानुसार तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त कर, प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है।

Sr.No.	Item	Qty	Cost per unit	Total Cost
1	UI/UX Design of a Single Platform	1	6,50,000.00	6,50,000.00
2	3D Space Development (virtual world) for Shri Krishna Raasleela	1	7,50,000.00	7,50,000.00
3	Integrated VR Software development for Shri Krishna Raasleela	1	5,40,000.00	5,40,000.00
			Sum Total	19,40,000.00
			UPDESCO Centage @ 10%	1,94,000.00
			Total	21,34,000.00
			GST (18%)	3,84,120.00
			Grand Total	25,18,120.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य संग्रहालय, लखनऊ में संग्रहीत भगवान श्रीकृष्ण की रासलीला पर आधारित लघुचित्रों पर ए0आर0/वी0आर0 वीडियो निर्माण हेतु यू0पी0डेस्को से प्राप्त प्रस्तावानुसार **रू0 25,18,120.00 (रूपये पच्चीस लाख अट्ठारह हजार एक सौ बीस मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

3. शर्तें/ प्रतिबन्ध :-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत स्वीकृति उ0 प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व उ0 प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ का होगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय- समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(5) उक्त धनराशि निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(6) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि का संबंधित संस्था/ संस्थान को समयान्तर्गत भुगतान के उपरान्त यथाशीघ्र शासन को सूचित कराया जायेगा।

4. उपर्युक्त स्वीकृति से सम्बन्धित व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति- आयोजनेत्तर-107- संग्रहालय-03- अधिष्ठान व्यय - 42- अन्य व्यय (उ०प्र संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ) मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
संजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
संजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in